क्रम संख्या–234(क–3)

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 22 नवम्बर, 2007 ई०
अग्रहायण 01, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या 3295/III(1)/07–39(अधि0)/06
देहरादून, 22 नवम्बर, 2007

अधिसूचना
विविध

सा0प0नि0–08

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007

भाग एक–सामान्य

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–सेवा की प्रास्थिति–

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कन्ष्ठि अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा एक अधीनस्थ अराजपत्रित राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

3–परिभाषाएं–

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय;

(ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "विभाग" से उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अभिप्रेत है;

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(छ) "अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा" से कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) "सेवा" से उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा अभिप्रेत है;

(ञ) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ट) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ठ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2–संवर्ग

4–सेवा का संवर्ग–

(1) सेवा में कर्मचारियों और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, संलग्न "परिशिष्ट" के अनुसार होगी।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है अथवा राज्यपाल उसे इस प्रकार आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग 3—भर्ती

5—भर्ती का स्रोत—

सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार 'सीधी भर्ती' तथा 'पदोन्नति' द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों/शासनादेशों में विहित हो।

6—आरक्षण—

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4—अर्हताएं

7—राष्ट्रीयता—

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय के पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), श्री लंका (पूर्ववर्ती सीलोन) या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगान्डा या यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिदेशक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड के पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो, तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर,अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8—शैक्षिक अर्हताएं—

अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा के अधीन कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से सम्बन्धित शाखा में इंजीनियरिंग डिप्लोमा, यथा सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिकी में डिप्लोमा आवश्यक होगा।

9—अधिमानी अर्हताएं—

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने—

(क) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या

(ख) राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी0' प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया हो; और

(ग) प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो।

10—आयु—

सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलैण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जाय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय;

11—चरित्र—

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12—वैवाहिक प्रास्थिति—

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13—शारीरिक स्वस्थता—

किसी अभ्यर्थी के लिए सेवा में किसी मौलिक रिक्ति पर नियुक्ति करने से पूर्व यह आवश्यक है कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड—2, भाग—3 के अध्याय 3 में दिये गए मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करे कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है और वह किसी ऐसे शारीरिक रोग से मुक्त है, जिससे उसे अपने शासकीय कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

भाग 5—भर्ती की प्रक्रिया

14—रिक्तियों का अवधारण—

नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणी के पदों पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और इसकी सूचना आयोग को देगा।

15 सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

(1) सेवा में भर्ती के लिए प्रार्थना–पत्र आयोग द्वारा आमन्त्रित किये जायेंगे और नियत प्रपत्र में दिये जायेंगे, जिसे आयोग के सचिव, से भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा, जो निर्दिष्ट किया जाये।

(2) विभाग में पहले से सेवायोजित अभ्यर्थी अपने प्रार्थना–पत्र उचित माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो उसे अपने नियत कालिक प्रतिवेदन (Periodical Report) के साथ आयोग को भेजेगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश–पत्र न हो।

(4) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा, जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर पर पहुँच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंकों को, लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में, जोड़ दिया जायेगा।

(5) आयोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को संस्तुत करेगा, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें, तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगी। आयोग, सूची शासन के कार्मिक विभाग को अग्रसारित करेगा।

16–शुल्क–

सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को, आयोग को प्रार्थना–पत्र तथा साक्षात्कार के लिए, ऐसे शुल्कों का भुगतान करना आवश्यक होगा, जो राज्यपाल द्वारा समय–समय पर नियत किये जायें। इन शुल्कों की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

17–पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

पदोन्नति द्वारा भर्ती के निमित्त वहीं प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो सेवा विशेष के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रख्यापन के ठीक पूर्व प्रचलित नियमों/शासनादेशों में विहित हो।

18–संयुक्त चयन सूची–

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ, सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाएं तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिए जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग 6–नियुक्ति, ज्येष्ठता, परिवीक्षा तथा स्थायीकरण

19–नियुक्ति–

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे, यथा स्थिति, नियम 15, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती व पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हैं, तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी, जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उस ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसी कि, यथास्थिति, चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिसमें से उन्हें पदोन्नत किया जाये। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें, तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

20—परिवीक्षा—

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ाई जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों पर पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में वह अन्यथा विफल रहा है, तो उसे मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाएं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) परिवीक्षा अवधि में एक माह के नोटिस पर अथवा एक माह का वेतन देने पर सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी, सेवा संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21—स्थायीकरण—

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में, स्थाई कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया जाए;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(ग) उसने विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

22—ज्येष्ठता—

सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय—समय पर यथासंशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

<u>भाग 7—वेतन आदि</u>

23—वेतनमान—

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान रु0 5000—150—8000 होगा।

24 परिवीक्षा अवधि में वेतन–

(1) मूल नियम में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में, उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाए तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो, पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय, तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग 8–अन्य उपबन्ध

25–पक्ष समर्थन–

किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न, किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास, उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26–अन्य विषयों का विनियमन–

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

27–सेवा शर्तों में शिथिलता–

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्ति किसी व्यक्ति की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से, किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक होगा।

28–व्यावृत्ति–

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

[नियम 4 (2) देखें]

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	792
2.	कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	81
3.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	40
4.	कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)	58

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3295/III(1)/07-39 (Establishment)/06, dated November 22, 2007 for general information:

No. 3295/III(1)/07-39 (Establishment)/06

Dated Dehradun, November 22, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the "Constitution of India" and in supersession of all exisiting rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Public Works Department Subordinate Engineering (Junior Engineer, Civil, Technical Electrical and Mechanical) Service:--

THE UTTARAKAHAND PUBLIC WORKS DEPARTMENT SUBORDINATE ENGINEERING (JUNIOR ENGINEER CIVIL, TECHNICAL, ELECTRICAL AND MECHANICAL) SERVICE RULES, 2007

PART I--General

1. Short Title and Commencent--

(1) These Rules may be called The Uttarakhand Public Works Department Subordinate Engineering (Junior Engineer, Civil, Technical, Electrical and Mechanical) Service Rules, 2007.

(2) They shall come into force at once.

2. Status of Service--

The Uttarakhand Public Works Department Subordinate Engineering (Junior Engineer Civil, Technical, Electrical and Mechanical) Service is a subordinate (Non-Gezetted) State Service comprising group "C" posts.

3. Definitions--

In these Rules, unless there in anything repugnant in the subject or context--

(a) "Appointing Authority" means the Chief Engineer Level-1, Public Works Department, Uttarakhand;

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be citizen of India under part II of the Constitution;

(c) "Commission" means Uttarakhand Public Service Commission;

(d) "Government" means the State Government of Uttarakhand;

(e) "Department" means the Public Works Department, Uttarakhand;

(f) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;

(g) "Subordinate Engineering Service" means Junior Engineer (Civil, Technical, Electrical and Mechanical) Service;

(h) "Member of the service" means a person substantively appointed to a post in the cadre of the service under these rules or the rules in force prior to the commencement of these Rules;

(i) "Service" means the Uttarakhand Public Works Department, Subordinate Engineering (Junior Engineer Civil, Technical, Electrical and Mechanical) Service;

(j) "Constitution" means the Constitution of India;

(k) "Substantive Appointment" means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the Service, made after selection, in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government; and

(l) "Year of Recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a Calendar year.

PART II--Cadre

4. Service Cadre--

(1) The strength of the Service and each catergory of posts there in by the Government from time to time.

(2) The strength of the service shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be such as per the Annexure attached: Provided that--

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation.

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts from time to time as he may consider proper.

PART III--Recruitment

5. Source of Recruitment--

The recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made through Public Service Commission in accordance with the norms prescribed for 'Direct Recruitment' and 'Promotion' in the rules/government orders in force just before the publication of these rules.

6. Reservation--

Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART IV--Qualification

7. Nationality--

For a direct recruitment to a post in the Service, a candidate must be--

(a) a citizen of India ; or

(b) a Tibetan refugee, who has come over to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently setting in India; or

(c) a person of Indian origin, who, with the intention of permanently settling in India, has migrated to India from Pakistan, Myanmar (formerly Burma), Sri lanka (formerly Ceylon) or any of the East African countries of Kenya, Uganda and United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar):

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by State Government;

Provided further that a candidate belonging to category (b) above will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand;

Provided also that, if a candidate belongs to category (c) above, the certificate of eligibility shall not be issued for a period of more than one year. Such candidates shall be retained in service beyond a period of one year only if he/she obtains Indian Citizenship.

Note-- Such candidate, in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him/her or issued in his/her favour.

8. Academic Qualifications--

For selection to the post of Junior Engineer under Subordinate Engineering Service, the candidate must have obtained an Engineering Diploma in the related branch, such as Civil, Technical, Electrical and Mechanical from a recognized Institute/Polytechnic.

9. Preferential Qualifications--

Other things being equal, in the matters of direct recruitment preference will be given to a candidate--

(a) who has served in the Territorial Army for a minimun period of two year ; or

(b) who has obtained a 'B' certificate of the National Cadet Corps; and

(c) who has successfully completed one year training as a trainee.

10. Age--

For direct recruitment to the Service, a candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the calendar year in which the vacancies are advertised by the Commission:

Provided that the upper age limit for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories, as may be notified by the Government from time to time, shall be higher by such number of years as may be specified.

11. Character--

For direct recruitment, the character of a candidate must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy himself on this point.

Note-- A person dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body, owned or controlled by the Union Government or a State Government, shall not be eligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. Marital Status--

A male candidate, who has more than one wife living or a female candidate, who has married a man already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Governor may, if satisfied that there exists a special ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. Physical Fitness--

Before a candidate is appointed in a substantive vacancy in the Service, he/she is required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under fundamental Rule 10, contained in Chapter III of the Financial Handbook, Volume-II, Part-III from Chief Medical Officer to the effect that he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties.

PART V--Procedure for Recruitment

14. Determination of Vacancies--

The Appointing Authority shall determine and intimate to the Commission, the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand under Rule 6.

15. Procedure for Direct Recruitment--

(1) The Public Service Commission shall invite applications for recruitment in the Service in the prescribed proforma which may be obtained from the Secretary of the Commission on payment and shall be submitted within such period, as may be specified.

(2) The candidates, who are already working in the Department, shall submit their applications to the Appointing Authority through proper channel, who will forward the same to the Commissions alongwith his periodical report.

(3) No candidate shall be permitted to appear in the examination unless he/she holds a certificate of admission, issued by the Commission.

(4) After the result of the written examination has been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories under Rule 6, summon such number of candidates for interview as have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview, shall be added to the marks obtained by him/her in the written examination.

(5) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their merit as disclosed by the aggregate of marks obtained in the written examination and interview and recommend such number of candidates as may be considered suitable for appointment. In case two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining more marks in the written examination, shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall be more (but not more than 25%) than the number of vancancies. The Commission shall forward the list to the Personnel Department of the Government.

16. Fees--

For direct recruitment in the Service, a candidate shall be required to pay such fees for written examination and interview, as may be determined by the Governor from time to time. No claim for refund of the fees shall be entertained.

17. Procedure for Recruitment by Promotion--

Procedure for recruitment by promotion shall be the same as prescribed in the respective rules/government orders in force just before the publication of these rules.

18. Combined Selection List--

If during any year of recruitment, the appointment are made both by promotion and direct recruitment, a combined selection list shall also be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists in such a manner that the prescribed percentage is maintained the first name in the list shall be of the person appointed by promotion.

Part VI--Appointment, Seniority, Probation and Confirmation

19. Appointment--

(1) Subject to the provision of sub rule (2), the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists, prepared under Rules 15, 17 or 18 as the case may be.

(2) Where in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 18.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one Selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order referred to in Rule 18.

20. Probation--

(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases, specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and, in no circumstances beyond to years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services be dispensed with.

(4) A probationer, who is reverted or whose services are dispensed with under sub rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Services during the period of probation may be dispensed with, by serving one month's notice or paying one months salary.

(6) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for purpose of computing the period of probation.

21. Confirmation--

A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of his period of probation or extended period of probation, if--

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory ;

(b) his integrity is certified ; and

(c) he has undergone in prescribed training.

22. Seniority--

The seniority of persons, appointed on a substantive post in the Service, shall be determined in accordance with the Uttaranchal Government Servants Seniority Rules, 2002, as amended from time to time.

Part VII-- Pay Etc.

23. Scale of Pay--

(1) The scales of pay, admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Scale of pay at the time of commencement of these Rules, shall be Rs. 5000-150-8000.

24. Pay during Probation--

(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time- scale when he has completed one year of satisfactory service, and second increment after two years of service when he has completed the probationary period and has undergone training:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not be counted for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of persons, who were already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not be counted for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person, already in permanent Government Service, shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants, serving in connection with the affairs of the State.

Part VIII--Other Provisions

25. Convassing--

No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or Service shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

26. Regulations of Other Matters--

In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders, applicable generally to Government Servants, serving in connection with the affairs of the State.

27. Relaxations in the Conditions of Service--

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service of persons appointed to the Service, causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding any thing contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the Rule is dispensed with or relaxed:

28. Saving--

Nothing in these Rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the order, issued by the Government from time to time in this regard.

APPENDIX

[*See* Rule 4 (2)]

Sl. No.	Designation	Number of the Sanctioned Post
1.	Junior Engineer (Civil)	792
2.	Junior Engineer (Technical)	81
3.	Junior Engineer (Electrical)	40
4.	Junior Engineer (Mechanical)	58

By Order,

UTPAL KUMAR SINGH,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 21 लोक निर्माण/608–2007–100+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग–1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

01 सितम्बर, 2014 ई0

संख्या 958/III(1)/14-94(अधि0)/2010–श्री राज्यपाल महोदय, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता, सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–5 का संशोधन — उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007 (जिसे यहां मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रखा जायेगा।

स्तम्भ–एक (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
भर्ती का स्रोत, 5 सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार 'सीधी भर्ती' तथा 'पदोन्नति' द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों/शासनादेशों में विहित हो।	**भर्ती का स्रोत, 5** (क) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार 'सीधी भर्ती' तथा 'पदोन्नति' द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों/शासनादेशों में विहित हो। (ख) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस

रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुऐ ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यह कि अपर सहायक अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ता के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष 85 प्रतिशत की सीमा तक ही की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता के कर्तव्य एवं दायित्व समान होंगे तथा एक ही जॉब चार्ट के अधीन होंगे।

नियम–17 का संशोधन — मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम, 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–एक (वर्तमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
<u>पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया, 17</u> पदोन्नति द्वारा भर्ती के निमित्त वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो सेवा विशेष के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रख्यापन के ठीक पूर्व प्रचलित नियमों/शासनादेशों में विहित हो।	<u>पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया, 17</u> (क) पदोन्नति द्वारा भर्ती के निमित्त वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो सेवा विशेष के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रख्यापन के ठीक पूर्व प्रचलित नियमों/शासनादेशों में विहित हो। (ख) <u>अपर सहायक अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया–</u> (1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या उत्तराखण्ड राज्य के लिए आरक्षित श्रेणियों की रिक्तियों की संख्या सहित अवधारित करेगा। (2) अपर सहायक अभियन्ता के पद पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर निम्नवत् गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी:– (क) विभागाध्यक्ष– अध्यक्ष (ख) विभागाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी, किन्तु अधीक्षण अभियन्ता के न्यून न हो– सदस्य

(ग) विभागाध्यक्ष कार्यालय में कार्यरत
स्टाफ आफिसर अथवा
समकक्ष अधिकारी— सदस्य

नोटः—उक्त चयन समिति में अध्यक्ष अथवा सदस्यों में से यदि कोई भी अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी का अधिकारी न हो तो उक्त श्रेणी के किसी अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा चयन समिति में नामित किया जायेगा।

नियम—23 का संशोधन — मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये वर्तमान नियम, 23 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात—

स्तम्भ—एक (वर्तमान नियम)	स्तम्भ—दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
<u>वेतनमान, 23</u>	<u>वेतनमान, 23</u>
<u>(कनिष्ठ अभियन्ता)—</u>	<u>(कनिष्ठ अभियन्ता)—</u>
(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित किया जाए।	(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित किया जाए।
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान रू0 5000—150—8000 होगा।	(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान रू0 5000—150—8000 (पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैण्ड—2 रू0 9300—34800 ग्रेड—पे रू0 4600) होगा।
	<u>अपर सहायक अभियन्ता—</u>
	अपर सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान रू0 9300—34800+ग्रेड—पे रू0 4800 होगा।

आज्ञा से,

डा0 एस0 एस0 सन्धु,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 958/III(1)/14-94(Adhi.)/ 2010,** dated September 01, 2014 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

September 01, 2014

No. 958/III(1)/14-94(Adhi.)/2010--In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India, the Governor is pleased to make the following Rules with a *view* to amending the Uttarakhand, Public Works Department Subordinate Engineering (Junior Engineer. Civil, Technical, Electrical and Mechanical) Services Rules, 2007.

Uttarakhand, Public Works Department Subordinate Engineering (Junior Engineer and Additional Assistant Engineer Civil, Technical, Electrical and Mechanical) (Amendment) Service Rule, 2014.

Short Title and beginning

(1) These rules may be called the Uttarakhand Public Works Department Subordinate Engineering (Junior Engineer and Additional Assistant Engineer, Civil, Technical, Electrical and Mechanical) (Amendment) Service Rules 2014.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Rule-5. In the Uttarakhand Public Works Department Subordinate Engineering (Junior Engineer Civil, Technical, Electrical and Mechanical) Service Rules 2007 (Hereinafter referred to as Principal Rules) for the existing Rules setout in column-1, below the rules as set out in column-2 shall be substituted; namely;

Column-1 (Existing Rule) 5. Source of Recruitment	Column-2 (Rules as hereby substituted) 5. Source of Recruitment
The recruitment to the various categories of posts in the service shall be made through Public Service Commission in accordance with the norms prescribed for 'Direct Recruitment' and 'Promotion' in the rules/government orders in force just before the publication of these rules.	(A) The recruitment to the various categories of posts in the service shall be made through Public Service Commission in accordance with the norms prescribed for 'Direct Recruitment' and 'Promotion' in the rules/government orders in force just before the publication of these rules. (B) By promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers (Civil, Technical, Electrical and Mechanical) who have completed three years of service, as such, on the first day of the year of recruitment, on the basis of seniority subject to rejection of unfit. Provided that promotion to the post of Additional Assistant Engineer (Civil, Technical, Electrical and Mechanical) shall be limited to 85 percent of total sanctioned posts of Junior Engineer. Duty and responsibility will be same for Junior Engineer and Additional Assistant Engineer even after promotion to the post of Additional Assistant Engineer and will be under one job chart.

Amendment:- In Principal Rules the existing rules-17 setout in column-1, below the rules as setout in
of Rules 17 column-2 shall be substituted; namely; i.e;

Column-1 (Existing Rule) **17. Procedure for Recruitment by promotion**	Column-2 (Rules as hereby substituted) **17. Procedure for Recruitment by promotion**
Procedure for recruitment by promotion shall be same as prescribed in the respective rules/government orders in force just before the publication of these rules.	(A) Procedure for recruitment by promotion shall be same as prescribed in the respective rules/government orders in force just before the publication of these rules. **(B) Procedure for promotion to the post of Additional Assistant Engineer (Civil, Technical, Electrical and Mechanical).** 1- The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the year of recuritment including the number of vacancies reserved for categories belonging to the state of Uttarakhand. 2- The recruitment to the post of Additional Assistant Engineer shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit, through constituting following selection committee:- (a) Head of Department– **Chairman** (b) Officer nominated by Head of Department but not below the rank of Superintending Engineer- **Member** (c) Staff Officer or equivalent officer, working in the office of Head of Department- **Member** Note :- If no one from amongst chairman or members in the selection committee blongs to scheduled caste/Scheduled tribe category then any officer belonging to such category will be nominated in selection committee by the Chairman.

Amendment of rules 23:- In Principal Rules for the existing Rules-23 setout in column-1, below the rules as setout in column-2 shall be substituted; namely; i.e;

Column-1 (Existing rule)	Column-2 (Rules as hereby substituted)
<u>Scale of Pay 23</u>	<u>Scale of Pay 23</u>
<u>(Junior Engineer)</u>	<u>(Junior Engineer)</u>
(1) The scales of pay, admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, shall be such as may be determined by the government from time to time.	(1) The scales of pay, admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, shall be such as may be determined by the government from time to time.
(2) The scale of pay at the time of commencement of these Rules, shall be Rs 5000-150-8000.	(2) The Scale of pay at the time of commencement of these Rules, shall be Rs 5000-150-8000 (Revised scale of pay payband-2 Rs. 9300-34800 Grade Pay Rs. 4600)
	<u>Additional Assistant Engineer</u> The scale of pay of persons appointed as Additional Assistant Engineer shall be Rs 9300-34800+Grade Pay- Rs 4800.

By Order,

DR. S.S. SANDHU,

Principal Secretary.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 20–09–2014, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 3 लो0नि0/617–22–09–2014–200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–170 (ड) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 अक्टूबर, 2018 ई0
आश्विन 13, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1

संख्या 1464/III(1)18–39(अधि0)/2006
देहरादून, 05 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0 प0 नि0–03

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके "उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007" (समय–समय पर यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक नियमावली, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक विद्युत व यांत्रिक) सेवा नियमावली 2007 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ– 1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ– 2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
भर्ती का स्रोत–5. (क) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार 'सीधी भर्ती' तथा 'पदोन्नति' द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों / शासनादेशों में विहित हो। (ख) मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा: परन्तु यह कि अपर सहायक अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ता के कुल स्वीकृत पदो के सापेक्ष 85 प्रतिशत की सीमा तक ही की जायेगी। अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के फलस्वरुप कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता के कर्तव्य एवं दायित्व समान होंगे तथा एक ही जॉब चार्ट के अधीन होंगे।	**भर्ती का स्रोत–5. (क) (I)** सेवा में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल / विद्युत / यांत्रिक) के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी, अर्थात– **(अ)** पच्चानवे प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **(ब)** पांच प्रतिशत विभाग में मौलिक रुप से नियुक्त समूह 'ग' के कर्मचारियों, जिन्होनें विभाग से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् अथवा सेवा में आने से पूर्व नियम 8 में विहित अर्हताए अर्जित की हों और भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को विभाग में दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अपने– अपने संवर्ग के स्वीकृत पदों की संख्या के अनुपात में लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। **टिप्पणीः–** अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए संयुक्त पात्रता सूची निम्नलिखित मानकों के अनुसार तैयार की जायेगीः– **(एक)** ऐसे अभ्यर्थी जिसने पूर्वतर शैक्षणिक सत्र में विहित डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है, पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा– **(दो)** यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों ने विहित डिप्लोमा समान शैक्षणिक सत्र में उत्तीर्ण किया हो तो ऐसा अभ्यर्थी जिसकी मौलिक नियुक्ति का दिनांक उसके संवर्ग में पूर्वतर हो, उसे पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा; **(तीन)** यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक भी एक समान हो जाये तो ऐसा अभ्यर्थी जिसकी अधिवर्षता का दिनांक पूर्वतर हो, को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। **(II)** सेवा में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी, अर्थात– **(अ)** पचास प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **(ब)** पचास प्रतिशत विभाग में मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे मानचित्रकार (सिविल) के पद से जिन्होंने चयन वर्ष की प्रथम तिथि को सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

[ख] (I) मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में तीन वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, को अपर सहायक अभियन्ता का नॉन फॅक्शनल वेतनमान नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा अनुमन्य किया जायेगा। इस आधार पर अपर सहायक अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) नॉन फॅक्शनल पद भरे जायेगें।

परन्तु यह कि अपर सहायक अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) के नॉन फॅक्शनल पद पर नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ता के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष 85 प्रतिशत की सीमा तक ही की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता के नॉन फॅक्शनल पद भरे जाने के फलस्वरूप कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता के कर्तव्य एवं दायित्व समान होगें तथा एक ही जॉब चार्ट के अधीन होंगे।

(II) अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) के नॉन फॅक्शनल पद भरे जाने से पूर्व कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) को कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के पद का 03 माह का प्रशिक्षण तथा कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के पद का 03 माह का प्रशिक्षण अनिवार्य रुप से प्राप्त करना होगा। सम्बन्धित संवर्ग के कनिष्ठ अभियन्ताओं में से अपने–अपने संवर्ग के स्वीकृत पदों के अनुपात में अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) के नॉन फॅक्शनल के पद भरे जायेंगे, तदोपरान्त ज्येष्ठता नियमावली के आधार पर अपर सहायक अभियन्ता (विद्युत/ यांत्रिक) की एकल ज्येष्ठता सूची बनायी जायेगी।

नियम 8 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ– 1 में दिये गये वर्तमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात–

स्तम्भ– 1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ– 2 (एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)
शैक्षिक अर्हताएं 8. अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा के अधीन कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ पॉलिटेक्निक से सम्बन्धित शाखा में इंजीनियरिंग डिप्लोमा , यथा सिविल प्राविधिक विद्युत तथा यांत्रिकी में डिप्लोमा आवश्यक होगा।	**शैक्षिक अर्हताएं** 8. (क) अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा के अधीन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति तथा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर सीधी भर्ती से चयन हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आवश्यक होगा। (ख) अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा के अधीन कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत के पद पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से चयन हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आवश्यक होगा।

(ग) अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा के अधीन क
यांत्रिक के पद पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से च
मान्यता प्राप्त संस्थान / पॉलिटेक्निक से यांत्रिक
डिप्लोमा आवश्यक होगा।

नियम 21 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम 21 के स्थान पर दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

स्तम्भ– 1 (वर्तमान नियम)	स्तम्भ– 2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नि
स्थायीकरण 21. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति के परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त, में उसकी नियुक्ति में, स्थाई कर दिया जायेगा, यदि– (क) उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया जाए (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और (ग) उसने विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।	**स्थायीकरण** 21. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसक स्थाई कर दिया जायेगा, यदि– (क) उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय अ (ग) उसने विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो परीक्षा यदि कोई हो, उत्तीर्ण की हो।

आज्ञा से

ओम प्रक

अपर मुख्य स

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution o
Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notif
1464/III(1)/18-39(Establishment)/2006, dated October 05, 2018 for general information:

No. 1464/III(1)/18-39(Establishment)/2006
Dated Dehradun, October 05, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 3
"Constitution of India", the Governor is pleased to make the following rules
further to amend the Uttarakhand Public Works Department, Subordinate
(Junior Engineer, Civil, Technical, Electrical and Mechanical), Service Rule
amended from time to time)

**The Uttarakhand Public Works Department Subordinate Engineering (Junio
and Additional Assistant Engineer Civil, Technical, Electrical and Mecha
Amendment) Service Rules, 2018**

Short title and commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Pub Department Subordinate Engineering (Junior Engi Additional Assistant Engineer Civil, Technical, Elect Mechanical) (First Amendment) Service Rules, 2018.
(2) They shall come into force at once.

2
नियम 5 का
संशोधन

स्त
भर्ती का स्रोत
पदों पर भर्त
भर्ती तथा
के माध्यम
नियमावली
नियमों / शा
(ख) मौलिक
अभियन्ताओं
यांत्रिक) में
दिवस को इ
सेवा पूरी क
करते हुए
द्वारा:
परन्
(सिविल, प्रा
पर पदोन्न
स्वीकृत पदो
तक ही की
अपर
पदोन्नति के
अपर सहाय
दायित्व समा
अधीन होंगे।

Amendment of Rule 5

2. In the Uttarakhand public works department subordinate Engineering (junior Engineer, civil, technical, electrical and mechanical) service Rules 2007 (hereinafter referred to as the principal rules), for existing rule 5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted namely:-

Column –1 (Existing rule)	**Column – 2 (Rule hereby substituted)**
Source of recruitment 5.(A) The Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made through Public Service Commission in accordance with the norms prescribed for 'Direct Recruitment' and 'Promotion' in the rule/government orders in force just before the publication of these rules.	**Source of recruitment 5.**[A] (I) The Recruitment to the post of Junior Engineer (Civil/Electrical /Mechanical) shall be made from the following sources namely- (a) Ninety five percent by direct recruitment Through the Public Service Commission. (b) Five percent in ratio of their cadre strength against sanctioned posts, by promotion through the Public service Commission from amongst such substantively appointed Group 'C' employees of the Department who either after obtaining the permission from the department or prior to comming in service, have acquired the qualification as prescribed in Rule 8 and have completed ten years substantive service in the Department on the first day of the recruitment year.
(B) By promotion from amongst substantively appointed Junior Engineers (Civil, Technical, Electrical and Mechanical) Who have completed three year if service, as such, on rhe first day of the year of recruitment, on the basis of seniority subject to rejection of unfit. Provided that promotion to the post of Additional Assistant Engineer (Civil, Technical, Electrical and Mechanical) shall be limited to 85 percent of total sanctioned posts of Junior Engineer. Duty and responsibility will be same for Junior Engineer and Additional Assistant Engineer even after promotion to the post of Additional Assistant Engineer and will be under one job chart.	NOTE- The combined eligibility list for promotion on the post of Junior Engineer (Civil) shall be made as per the following norms:- (i) The candidate who has passed the prescribed Diploma in earlier academic session shall be placed higher in the eligibility list, (ii) If two or more candidate have passed the prescribed Diploma in the same academic session, the candidate whose date of substantive appointment in his respective cadre is earlier shall be placed higher in the eligibility list, (iii) If the date of substantive appointment of two or more candidate is also same the candidate whose date of superannuation is earlier shall be placed higher in the eligibility list.

(II) Recruitment to the post of Junior Engineer (Technical) shall be made from the following sources namely:-

(a) Fifty percent by direct recruitment made through the public service Commission.

(b) Fifty percent by promotion through the public service Commission from amongst such substantively appointment Draftsman (Civil) who have completed seven years service on the first day of the recruitment year.

(B) (I) Such substantively appointed Junior Engineers (Civil, Technical, Electrical and Mechanical) who have completed three years satisfactory service as such on the first day of the recruitment year, shall be allowed non-functional pay scale of Additional Assistant Engineer by the Committee constituted by the Appointing Authority. On this basis the non-functional posts of Additional Assistant Engineer (Civil, Technical, Electrical and Mechanical) shall be filled up.

Provided that appointment to non-functional posts of Additional Assistant Engineer (Civil, Technical, Electrical and Mechanical) shall be made only to the extent of 85 percent of the total sanctioned posts of Junior Engineers.

Consequent to filling up of non-functional posts of Additional Assistant Engineers, the duties and liabilities of the Junior Engineer and Additional Assistant Engineer shall be same and subject to one job chart.

(II) Prior to filling up of the non-functional posts of Additional Assistant Engineer (Electrical and Mechanical), Junior Engineers (Electrical) have to undergo three months training of the post of Junior Engineer (Mechanical) and Junior Engineers (Mechanical) have to undergo three months training of the post of Junior Engineer (Electrical) mandatorily. From amongst the Junior Engineers of the concerned cadre, non-functional posts of Additional Assistant

Engineer (Electrical and Mechanical) shall be filled up in their respective cadre, in ratio of sanctioned post, thereafter single seniority list of Additional Assistant Engineer (Electrical / Mechanical) shall be prepared on the basis of seniority rules.

Amendment of Rule 8

3. In the principal Rules, for existing rule 8 set out in column 1 below, the Rule as set out in column 2 shall be substituted namely:-

Column –1 (Existing rule)	Column – 2 (Rule hereby substituted)
Academic Qualifications 8. For selection to the post of Junior Engineer under Subordinate Engineering Service, the candidate must have obtained an Engineering Diploma in the related branch such as Civil, Technical, Electrical and Mechanical from a recognized Institute/Polytechnic.	**Academic Qualifications 8.** (A) For appointment through direct recruitment or promotion to the post of Junior Engineer (Civil) under Subordinate Engineering Service and for direct appointment to the post of Junior Engineer (Technical), the candidate must have obtained a Diploma in Civil Engineering from a recognized Institute/ Polytechnic. (B) For appointment through direct recruitment or promotion to the post of Junior Engineer (Electrical) under Subordinate Engineering Service, the candidate must have obtained a Diploma in Electrical Engineering from a recognized Institute/Polytechnic. (C) For appointment through direct recruitment or promotion to the post of Junior Engineer (Mechanical) under Subordinate Engineering Service, the candidate must have obtained a Diploma in Mechanical Engineering from a recognized Institute/ Polytechnic.

Amendment of Rule 21

4. In The principal Rules for existing rule 21 set out in column 1 below, The rule as set out in colum 2 shall be substituted, namely:

Column –1 (Existing rule)	Column – 2 (Rule here by substituted)
Confirmation 21. A probationer shall be confirmed in his appointment at	**Confirmation 21.** A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of his

the end of his period of probation or extended period of probation if-

(a) his work and conduct is satisfactory,

(b) his integrity is certified, and

(c) he has undergone in prescribed training.

period of probation or extended period of probation if-

(a) his work and conduct is satisfactory,

(b) his integrity is certified, and

(c) he has undergone the prescribed training and qualified the departmental exam, if any.

By Order,

OM PRAKASH,
Additional Chief Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 लो0नि0 / 613–2018–100+200 (कम्प्यूटर / रीजियो)।